राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(99) ग्राविवि–5/**PMAY-G**/सां./**SECC Remapping/**2019–20 जयपुर, दिनांक 17 जून, 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, (राजसमंद के अतिरिक्त) राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत SECC Data Remapping हेतु ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित प्रस्ताव प्रेषित करने बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्र दिनांक 25.04.19 एवं बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.05.19।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र दिनांक 25.04.2019 द्वारा जिलो से प्राप्त ग्राम/ग्राम पंचायत की रीमैपिंग के प्रकरणों को राज्य स्तर से संकलित कर पुनः जिलों को प्रेषित कर रीमैपिंग प्रकरणों को संकलित करने तथा रीमैपिंग से प्रभावित दोनों ग्राम पंचायतों अर्थात् एक ग्राम पंचायत जिस से राजस्व ग्राम के लाभार्थी या एक या एक से अधिक लाभार्थी जो कि उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है एवं इन्हीं लाभार्थियों से संबंधित ग्राम पंचायत जिसमें इनको जोडना है दोनों की ग्राम सभाओं के प्रस्तावों का पंचायत समिति व जिला स्तर से अनुमोदित कर जिला स्तर से पत्र द्वारा विभाग को रीमैपिंग हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को भिजवाये जाने हेतु प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त संबंध में जिलों के अधिशाषी अभियंता/आवास प्रभारियों के साथ दिनांक 01.05.2019 को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रासांगिक पत्र दिनांक 25.04.19 द्वारा ग्राम सभा कार्यवाही विवरण हेतु प्रेषित प्रारूप में माह मई 2019 तक रीमैपिंग के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्तानुसार निर्देशों के उपरांत भी संलग्न विवरण अनुसार जिलों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये है/प्रेषित प्रस्तावों में कमियां पायी गयी है।

अतः पुनः निर्देश है कि निम्नानुसार कार्यवाही कराकर रीमैपिंग के शत प्रतिशत प्रकरण 3 दिवस में विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें–

1. जिला स्तर से प्रेषित पत्र में ग्राम रीमैपिंग हेतु वर्तमान में प्रदर्शित तथा प्रस्तावित मैपिंग का उल्लेख करते हुये ग्राम सेन्सस कोड दर्ज कर प्रस्ताव प्रेषित करावे।
2. संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में अलग–अलग भिजवावें।
3. प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों में जिस ग्राम पंचायत से ग्राम को पृथक किया जाना है उसके प्ररिप्रेक्ष्य में जिस ग्राम पंचायत में नाम जोडा जाना है की ग्राम सभा आयोजित करवाकर प्रस्ताव प्रेषित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
4 उप महानिदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6 सहायक आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7 अजय मोर, साईंटिस्ट बी, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

स्टेट नोडल अधिकारी PMAY-G

C:\Users\acer\Downloads\SECC Remapping.docx

सैक रीमैपिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही का जिलेवार विवरण

क्र.स.	जिले का नाम	पत्र दिनांक	आवश्यक कार्यवाही विवरण
1	AJMER	2/5/2019	1. लाभार्थी की रीमैपिंग हेतु दोनों ग्रामसभाओं के प्रस्ताव 2. ग्राम पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना
2	ALWAR	30-04-19	ग्राम रीमैपिंग के 4 प्रकरण जिले द्वारा अवगत कराये गये है, उनके प्रस्ताव प्रेषित करें।
3	BANSWARA	1/5/2019	सम्पूर्ण ग्राम की रीमैपिंग हेतु ग्रामपंचायतवार प्रस्ताव भेजें, पूर्व प्रेषित प्रस्तावों में लाभार्थीवार अलग–अलग प्रस्ताव है
4	BARAN		–
5	BARMER		–
6	BHARATPUR	3/6/2019	जिस ग्राम पंचायत में ग्राम को जोडा जाना है के प्रस्तावों की दिनांक जांच कर, सही करवाकर प्रस्ताव प्रेषित करें।
7	BHILWARA		ग्राम रीमैपिंग के दोनों प्रकरणों में जिले से ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित प्रस्ताव प्रेषित करे।
8	BIKANER		ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में प्रस्ताव प्रेषित करें।
9	BUNDI		–
10	CHITTORGARH	2/5/2019	1. संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में अलग–अलग भिजवावें। 2. ग्राम को ग्राम पंचायत से हटाने व जोडने हेतु दोंनों प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव की दिनांक सही करें।
11	CHURU		ग्राम रीमैपिंग के 2 प्रकरणों में ग्राम सभा प्रस्ताव अप्राप्त
12	DAUSA	21-5-19	प्रेषित प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में अलग–अलग तथा लाभार्थियों की सूची के साथ संलग्न करें।
13	DHOLPUR		–
14	DUNGARPUR		ग्राम रीमैपिंग हेतु ग्रामसभा कार्यवाही विवरण सहित प्रस्ताव प्रेषित करें।
15	HANUMANGARH		ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में पुनः प्रस्ताव प्रेषित करें।
16	JAIPUR	30-4-19 and 13-6-19	रीमैपिंग हेतु प्रस्ताव प्राप्त, ग्राम पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना भी प्रेषित करें।
17	JAISALMER		ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में प्रस्ताव प्रेषित करें।
18	JALORE		–
19	JHALAWAR		ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में पुनः प्रस्ताव प्रेषित करें।
20	JHUNJHUNU		–
21	JODHPUR		ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में पुनः प्रस्ताव प्रेषित करें।
22	KARAULI		–

23	KOTA	13-6-19	1. जिले द्वारा प्रेषित पत्र में ग्राम सेन्सस कोड दर्ज कर वर्तमान व प्रस्तावित मैपिंग का उल्लेख करें। 2. संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव, विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में अलग–अलग भिजवावें।
24	NAGAUR	30-5-19	पंचायत समिति परबतसर के ही प्रस्ताव प्रेषित किये गये है शेष प्रस्ताव भी ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में जिला स्तर से संकलित प्रस्ताव प्रेषित करें।
25	PALI		
26	PRATAPGARH		ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में प्रस्ताव प्रेषित करें।
27	RAJSAMAND	30-5-19	ग्राम डिंगेला के प्रस्ताव प्राप्त।
28	SAWAI MADHOPUR		–
29	SIKAR	25-04-19	ग्राम पंचायत परिवर्तन व ग्रामीण से शहरी में सम्मिलित होने की अधिसूचना सहित प्रस्ताव प्रेषित करें।
30	SIROHI		–
31	SRI GANGANAGAR		–
32	TONK	16-5-19	ग्राम सभा कार्यवाही विवरण सहित विभाग द्वारा प्रेषित प्रारूप में प्रस्ताव प्रेषित करें।
33	UDAIPUR	E Mail dt. 3-6-19	प्रस्ताव प्राप्त, जिले द्वारा प्रेषित पत्र में ग्राम सेन्सस कोड दर्ज कर वर्तमान व प्रस्तावित मैपिंग का उल्लेख करें।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(99) ग्राविवि–5/**PMAY-G**/सां./**SECC Remapping/**2019–20 जयपुर, दिनांक 25

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत SECC Data Remapping हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने तथा रीमैपिंग उपरांत नवीन वरीयता निर्धारण के कम में।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत पक्के आवास के निर्माण के लिए अनुदान देने हेतु लाभार्थियों की अग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 मापदण्डों व पूर्व में किसी भी आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होने वाले आवासहीन व कच्चा आवास वाले परिवारों की वरीयता सूची बनाई जाकर उसी वरीयता में लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार SECC-2011 के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित 13 पैरामीटरों के आधार पर तैयार करवाये गये डाटा को आधार मानकर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तरीय अपीलेट कमेटी व जिला स्तरीय कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट समिति से अनुमोदन उपरांत आवाससॉफ्ट पर अपलोड की गई है। इसी वरीयता में लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाये जाने का प्रावधान है।

योजना कियान्वयन के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम अन्य ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों में प्रदर्शित होने के प्रकरणों में जिले द्वारा मैपिंग करवाकर समस्याओं का निदान किया गया था। उक्त के उपरांत भी जिलो से विभिन्न ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्रामों की रीमैपिंग या राजस्व ग्राम के कुछ लाभार्थियों की रीमैपिंग अन्य राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत में किये जाने के प्रस्ताव जिलों द्वारा प्राप्त हो रहे है।

उक्त कम में जिलो से प्राप्त ग्राम/ग्राम पंचायत की रीमैपिंग के प्रकरणों को राज्य स्तर से संकलित कर पुनः जिलों को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न प्रारूप में प्रकरणों को संकलित करें तथा रीमैपिंग से प्रभावित दोनों ग्राम पंचायतों अर्थात् एक ग्राम पंचायत जिस से राजस्व ग्राम के लाभार्थी या एक या एक से अधिक लाभार्थी जो कि उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है एवं इन्हीं लाभार्थियों से संबंधित ग्राम पंचायत जिसमें इनको जोडना है दोनों की ग्राम सभाओं के प्रस्ताव (प्रारूप संलग्न) संलग्न कर पंचायत समिति व जिला स्तर से अनुमोदित कर जिला स्तर से पत्र द्वारा विभाग को रीमैपिंग हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय को भिजवाये जाने हेतु प्रेषित करें।

उल्लेखनीय है कि संलग्न सूची के अनुसार वर्तमान में राज्य के 83 राजस्व ग्रामों के सभी लाभार्थियों को एवं अन्य एकल/बहु लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित है। अतः प्रकरण की गम्भीरता के अनुसार उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाकर जिला स्तर से रीमैपिंग के शत प्रतिशत प्रकरण राज्य को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि।
3 निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4 उप महानिदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6 सहायक आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7 अजय मोर, साईटिस्ट बी, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

स्टेट नोडल अधिकारी PMAY-G

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\SECC Remapping\SECC Remapping.docx

ग्राम सभा द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के प्रारूप

(जिस ग्राम पंचायत से लाभार्थियों के नाम वरीयता सूची से हटाये जाने है)

" दिनांक .....को ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला ..... की ग्राम सभा को आयोजन किया गया , जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित PMAY-G ID लाभार्थी, ग्राम .....ग्राम कोड..... इस ग्रम पंचायत के निवासी नहीं है, अतः इनके नाम वर्तमान में प्रभावी वरीयता सूची से पृथक कर दिये जावें एवं पूर्वानुसार आवाससॉफ्ट से निर्धारित वरीयता कमांक शेष लाभार्थियों के निर्धारित कर दिये जावें। इसका यह ग्राम सभा सर्वसम्मति से अनुमोदन करती है। "

(जिस ग्राम पंचायत से लाभार्थियों के नाम वरीयता सूची में जोडे जाने है)

" दिनांक .....को ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति ..... जिला ..... की ग्राम सभा को आयोजन किया गया , जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची की ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति.....जिला..... की दिनांक ..... को आयोजित ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित PMAY-G ID लाभार्थी, ग्राम..... ग्राम कोड..... इस ग्रम पंचायत के निवासी है, अतः इनके नाम वर्तमान में प्रभावी वरीयता सूची में जोड दिये जावें एवं पूर्वानुसार आवाससॉफ्ट से निर्धारित वरीयता कमांक के स्थान पर इनके जोडे जाने के उपरांत आवाससॉफ्ट के आधार पर निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वरीयता निर्धारित कर दी जावें। इसका यह ग्राम सभा सर्वसम्मति से अनुमोदन करती है।"

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(59) ग्राविवि–5/PMAY-G/सां./SECC Remapping/2019–20 जयपुर, दिनांक 03 मई, 2019

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला परिषद् समस्त के अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.)/आवास प्रभारी अधिकारियों की बैठक दिनांक 01.05.2019 को समिति कक्ष, उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में योजना के कियान्वयन व प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। उक्त के अतिरिक्त आवास सॉफ्ट पर विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध प्रावधानों के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गई। योजनान्तर्गत राज्य की औसत प्रगति 88.66 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिलो को विशेष प्रयास करने एवं समस्त जिलों को 30 मई 2019 तक शतप्रतिशत प्रगति अर्जित करने का लक्ष्य आवटित किया गया।

लक्ष्यानुसार प्रगति अर्जित करने हेतु अपूर्ण आवासों के संघन निरीक्षण/समझाइश हेतु पंचायत प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता आदि को टेग अधिकारी नामित कर प्रगति सुनिश्चित की जावे अन्यथा की स्थिति में 95 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिलो के संबंधित अधिकारियो के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। बैठक में समीक्षा कर निम्नानुसार निर्णय /निर्देश दिये गये –

बिन्दु संख्या 1 :– **SECC-2011 के डाटा रिमैपिंग से संबंधित लम्बित प्रकरणों के कम में समीक्षा** आवश्यक दस्तावेज /परिवर्तन के कारण के सत्यापन हेतु समुचित दस्तावेज संलग्न नहीं करने के कारण जिलों से प्राप्त प्रकरण का समाधान नहीं हो पा रहा है इस बाबत निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –

- SECC-2011 डाटा में लाभार्थी के विवरण में संशोधन तथा लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों के नाम जोडनें हेतु –विभागीय पत्र दिनांक 01.05.2019 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज यथा मृत्यु प्रमाण – पत्र, आधार कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड आदि जिनसे संशोधन की पुष्टि हो सके अनिवार्य रूप से संलग्न किये जावे।
- व्यक्तिगत लाभार्थी/ग्राम/ग्राम पंचायत की रीमैपिंग – विभागीय पत्र दिनांक 25.04.2019 द्वारा प्रेषित प्रारूप में संबंधित दोनों ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओ के प्रस्ताव, जिसमें रिमैपिंग के परीणाम स्वरूप परिवर्तित स्थाई वरीयता सूची का उल्लेख हो सहित प्रकरण जिला स्तर से विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- उक्त दोंनो कार्यवाही माह मई 2019 तक पूर्ण करायें जाना सुनिश्चित करें, जिससे वर्ष 2019–20 के आवटित लक्ष्य 3.64 लाख से उक्त को भी लाभान्वित किया जा सकें।

बिन्दु संख्या 2 :– **रिमाण्ड मॉडयूल बाबत निम्नानुसार कार्यवाही की जावे –**

- रिमाण्ड मॉडयूल के अपलोड होने से शेष प्रकरणों को आवाससॉफ्ट पर ऑनलाईन अपलोड करे।
- रिमाण्ड मॉडयूल में जिलों द्वारा अपलोड किये जा रहे प्रकरणों में संबंधित लाभार्थी की पहचान हेतु संलग्न दस्तावेजों में लाभार्थी को चिन्हित किया जावें। जिससे अनावश्यक विलम्ब नही हो, एवं यथासम्भव प्रत्येक लाभार्थी हेतु पृथक–पृथक ही आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

बिन्दु संख्या 3 :–

- अतिरिक्त चिन्हित पात्र परिवारों की अनुमोदित सूची के आवास प्लस एप पर अपलोड होने से शेष चिन्हित वंचित पात्र परिवारों की सूचना तथा एक्सल शीट में प्रेषित सूचना बाबत जारी विभागीय पत्र दिनांक 27.03.2019 की अनुपालना में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या 4 :– **Delayed House को पूर्ण कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया**

- प्रथम किश्त प्राप्ति के 90 दिवस उपरान्त भी द्वितीय किश्त जारी नही एवं द्वितीय किश्त प्राप्ति के 90 दिवस उपरान्त भी तृतीय एवं अंतिम किश्त जारी नही प्रकरणों को अति शीघ्र द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त जारी कराने के लिए निर्देशित किया गया।

- प्रथम किश्त प्राप्ति के 12 माह उपरान्त भी पूर्ण नही आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के कम में विभागीय आदेश दिनांक 23.04.2019 की पालना सुनिश्चित करें।
- पंचायत समिति / ग्रा.पं.स्तरीय कर्मचारी/अधिकारियों का दल गठन कर अन्य कार्यक्षेत्र के आवासो का विशेष निरीक्षण के साथ–साथ संबंधित लाभार्थियो के ग्राम पंचायत/कलस्टर पंचायत स्तर पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित कराकर लाभार्थियो को आवास पूर्ण कराने हेतु प्रेरित किया जावे।

बिन्दु संख्या 5 :– प्रधानमंत्री कार्यालय एवं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त जिलों मे लम्बित शिकायतों के प्राथमिकता निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान जिलो के पास कुछ शिकायतों की प्रति अनुपलब्धता को गंभीरता से लेते हुये प्रति विभाग से प्राप्त कर 15 दिवस में निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्राप्त शिकायतो की जिला स्तर पर पंजीका संधारण किया जावे।

बिन्दु संख्या 6 :–

- योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि का योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं CA Audit Report प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि आगामी किश्त भारत सरकार स्तर से प्राप्त की जा सकें।
- लाभार्थियो को प्रदर्शन हेतु MoRD द्वारा IIT नई दिल्ली के सहयोग से तैयार कराये गये प्रोटो टाईप मॉडल नक्शों मे से जिलो के क्षेत्रवार उपयुक्त मॉडल नक्शे अनुसार उपलब्ध प्रशानिक मद की राशि से योजना के कियान्वयन फ्रेम वर्क बिन्दु संख्या 6.2 की पालना में विभागीय पत्र दिनांक 27.8.18 द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति पर आवास प्रोटोटाइप आवास निर्माण हेतु आवंटित लक्ष्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश दिये गये –
- योजनान्तर्गत राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कम लागत की IIT द्वारा तैयार डिजाईनो मे से क्षेत्र में प्रचलित दो डिजाईन अनुसार अधिकतम 2 प्रोटोटाइप मॉडल आवासों का निमार्ण 31.08.2019 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उल्लेखनीय है कि लाभार्थियो को कम लागत की तकनीक प्रदर्शन हेतु किसी भी परिस्थिति मे पंचायत समिति स्तर पर एक डिजाईन के दो मॉडल आवास का निर्माण नहीं कराया जावे।

बिन्दु संख्या 7 :–

- वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक स्वीकृत अपूर्ण आवासो की समीक्षा कर विवादित प्रकरणो को छोड कर शेष आवासो को 31 मई, 2019 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- एवं IAY योजनान्तर्गत खोले गये समस्त खातें (PMAY-G प्रशासनिक मद के एक बैंक खातें को छोड़कर) को बार–बार निर्देशों के उपरान्त भी कार्यवाही नही करने पर असन्तोष व्यक्त कर 7 दिवस में कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया।

बिन्दु संख्या 8 :– ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से वर्ष 2019–20 हेतु 6 जिलों (अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर) को बीएसआर सॉफ्टवेयर पर बीएसआर अति शीघ्र अपलोड़ करने हेतु निर्देशित किया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(जयपाल सिंह मेडतिया)
राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि।
2 जिला कलक्टर, जिला समस्त राजस्थान।
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

राज्य नोडल अधिकारी, PMAY-G